भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध

*इन्दु यादव

सारांश

वर्तमान समय में प्रेस का विस्तार ज्यादा हुआ है क्योंकि इसका दायरा समाचार पत्रों पर ज्यादा विस्तृत हो गया है क्योंकि इसमें सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म शामिल हो गये हैं। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता कभी भी निर्बाध नहीं हो सकती। इसका प्रमाण भारत में भी देखा जा सकता है। जैसे कि 1975 के आपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई थी। वो समय प्रेस के लिए कोरोना काल साबित हुआ और इस सेंसरशिप के दौरान प्रेस पर सूचना प्रसारण मंत्री को बदलने से लेकर समाचार पत्र के छापेखानों की बिजली काटने तक के निम्न स्तर के प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके अलावा प्रेस की व्यावसायिकता ने इसके जन कल्याण के कार्य को पूछे छोड़ दिया। दूसरा भारतीय प्रेस पर पश्चिमीकरण की छाप भी दिखाई पड़ती है। तीसरा खतरा प्रेस को सेफ सेंशरशिप से भी है। अर्थात् पत्रकार, राजनेताओं के एजेंट के तौर पर कार्य करते हैं।

संकेताक्षर : प्रेस, नियंत्रण, सेंसरशिप, व्यावसायिकरण, सेल्फ सेंशरशिप।

प्रेस पर नियंत्रण के आधार पर तीन श्रेणियां बनाई जा सकती है–

(अ) जहां प्रेस पूरी तरह नियंत्रित है उदाहरण– चीन, सोवियत संघ, पुर्तगाल इत्यादि।

(ब) जहां प्रेस को राजनीतिक आलोचना की औपचारिक अनुमति तो है परंतु सेंसरशिप अधिक लगाई जाती है। उदाहरण – सीरिया, कोलंबिया।

(स) जहां प्रेस के विशेष एवं भेदभाव पूर्ण कानून होते हैं एवं संपादकों को गिरफ्तार कर मुकदमा तक भी चलाया जाता है, जैसे इराक, पाकिस्तान।

आजादी के बाद भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के प्रमाण इन्हीं बातों से मिल जाती है कि आज के समय में ऐसी कोई भारतीय भाषा या बोली नहीं जिसमें समाचार पत्र ना छपते हों एवं लोगों की दिनचर्या का अंग बन गया है। सभी वर्गों के घरों तक समाचार पत्र पहुंचते हैं।

आज के समय में प्रेस शब्द का विस्तार हो चुका है क्योंकि अब इसमें समाचार पत्रों के अलावा इलेक्ट्रोनिक मीडिया, रेडियो, दूरदर्शन, सोशल मीडिया आदि सभी आते हैं। 1962 में चीन आक्रमण के दौरान भी प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया गया। हालांकि प्रेस पर इस समय सेंसरशिप की सलाह दी गई थी। परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। उस समय भी सरकार की कमियों को दिखाने के लिए प्रेस को स्वतंत्र छोड़ा गया।

इसी प्रकार 1965 के भारत–पाक युद्ध एवं 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष के दौरान भी प्रेस पर सेंसरशिप लागू नहीं की गई थी। परंतु 1975 के आपातकाल के दौरान पहली बार प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई थी और इसका नतीजा इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता गंवा कर बैठना पड़ा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चुनाव रद्द करते ही इंदिरा गांधी ने 25–26 जून, 1975 की रोत को ही

आपातकाल लगा दिया। इसका असर प्रेस पर ही नजर आया। यह प्रेस का काल आज के दौर के कोरोना काल जैसा ही था। आपातकाल घोषणा के तुरंत बाद बहादुरशाह जफर मार्ग पर जितने अखबार कार्यालय थे उनकी बिजली काट दी गई ताकि अगले दिन समाचार पत्र ही ना आ सकें। जो छप चुके थे उनकी कॉपियां जप्त कर ली गई । अर्थात् प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर अभिव्यक्ति की आजादी जनता से छीन ली गई।

जब इंद्र कुमार गुजराल सेंसरशिप को ठीक तरीके से लागू नहीं कर पाये तो सूचना प्रसारण मंत्री ही बदल कर विद्याचरण शुक्ल को बनाया गया। 2000 से अधिक पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया जिसमें कुलदीप नैयर जैसे पत्रकार भी शामिल थे। कुछ पत्रकारों की एवं कैमरामैन की मान्यता रद्द कर दी गई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भंग कर दिया गया था। उस दिन सेंसरशिप का विरोध करने के लिये अखबारों में सम्पादकीय को खाली छोड़ दिया गया था। एक अखबार ने तो शोक संदेश में यहां तक छाप दिया कि ''आजादी की माता और स्वतंत्रता की पुत्री लोकतंत्र को 26 जून, 1975 को मृत्यु हो गई। जय प्रकाश नारायण सहित अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। संसद में सरकार के विरूद्ध भाषण एवं न्यायालय द्वारा सरकार के विरूद्ध दिये गये निर्णयों को भी कहीं पर छापने की अनुमति नहीं थी। न्यायालय एवं संसद की कार्यवाहियों पर भी रोक लगा दी गई थी। इस स्थिति पर नंबूदरीपाद ने तो कहा भी था कि इतना प्रतिबंध तो अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के समय नहीं लगाया था। इंदिरा गांधी के उलट उनके पति फिरोज गांधी प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। संसद की कार्यवाहियों के छपने पर पाबंदी एवं पत्रकारों पर मुकदमे जैसी चीजों को फिरोज गांधी के प्रयासों से ही हटाया गया था। इतने प्रतिबंध के बावजूद भी इंदिरा गांधी विदेशी समाचार पत्रों को नहीं रोक पाई। लोग सही समाचार जानने के लिए आकाशवाणी की बजाय बीबीसी सुनते थे। बीबीसी के संवाददाता (मार्क टुली) को तो देश छोड़ने तक के लिए बाध्य कर दिया गया था।

सेंसरशिप की मार व्यंग्यकारों, चित्रकारों, हास्यकारों एवं फिल्मी हस्तियों तक भी झेलनी पड़ी थी। प्रेस की स्वतंत्रता की रैकिंग में देश तीसरे नंबर से 34 वें स्थान पर आ गया। इतने सारे प्रतिबंधों का परिणाम यह निकला कि इंदिरा गांधी जनता के दिमाग की हकीकत से काफी दूर हो गई एवं जनता के अंदर आक्रोश पनपता गया जिसका परिणाम 1977 के चुनाव में दिखाई दिया। कांग्रेस सरकार को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। (सुशील कुमार मोदी लेख, जागरण)

डब्ल्यू. एच. मॉरिस का कथन है ''भारतीय प्रेस को आपातकाल के दौरान बड़ा झटका लगा था।'' 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद यह सेंसरशिप समाप्त कर दी गई एवं अगले 12 वर्षों तक राष्ट्रव्यापी स्तर पर किसी तरह की सेंसरशिप लागू नहीं की गई।

अब मोरारजी देसाई अल्पकालीन सरकार बनाई। गणराज्य का चौथे स्तम्भ में अधिक विश्वास था। वह समय–समय पर प्रेस कांफ्रेंस बुलाते थे तथा पत्रकारों को प्रश्न पूछताछ की पूर्ण आजादी दी जाती थी। वह प्रत्येक प्रश्न का संतोषजनक जबाव देते थे। इसके पश्चात् 1984 में पंजाब में कुछ समय के लिए फिर से सेंसरशिप लगाई गई थी।

बिहार एवं तमिलनाडु जैसे राज्य सरकारों ने भी प्रेस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाये एवं विधेयक भी पारित किये गये लेकिन राज्य की जनता के साथ–साथ संपूर्ण देश की जनता ने इनके विरोध में आवाज उठाई। राज्य सरकारों ने मजबूरी वश इन कानूनों को वापिस लिया। केन्द्र सरकार ने भी इसी दिशा में प्रयास के लिए लोकसभा में मानहानि विधेयक पारित किया था लेकिन विरोध के कारण यह राज्यसभा में प्रस्तुत ही नहीं किया गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी प्रेस पर नियंत्रण का प्रयास असफल ही रहा। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि प्रेस पर नियंत्रण के कानूनी प्रयास कभी सफल नहीं हो पाये।

दूसरी तरफ आकाशवाणी एवं दूरदर्शन सरकारी नियंत्रित क्षेत्र भी स्वायत्तता प्रदान करने का मुद्दा जो पकड़ता रहता है। 1977 से 1979 की अल्पकालीन जनता सरकार ने इसके लिए 'आकाश भारतीय विधयेक' लोकसभा में प्रस्तुत भी कर दिया था जो कि जार्ज वर्गीस की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया था लेकिन विधेयक पारित होने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई एवं लोकसभा के सभी विचाराधीन विधयेक मृतप्राय हो गये। 1980 में अगली सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया एवं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर सरकारी नियंत्रण पूर्ववत ही बना हुआ है।

कहने को प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई लेकिन व्यावसायिकता ने इसके जनकल्याण के कार्य को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया है। बड़े स्तर पर फैले समाचार पत्र अधिक खर्चा होने के कारण सिर्फ व्यावसायिक घरानों से जुड़ गये हैं। मध्यम आकार के पत्रों को भी व्यावसायिकता घेरती जा रही है। लघु आकार के विस्तार वाले समाचार पत्र की संख्या तो अधिक है लेकिन इनका प्रभाव सीमित सीमित है। अतः अब प्रेस को अपना विकास स्वयं करना बताते हुए अपने आप को चौथे स्तंभ के रूप में खड़ा रख पाती है।

आजादी के पहले प्रेस का प्रमुख मुद्दा स्वतंत्रता आंदोलन ही रहता था। उसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को ब्रिटिश शासन के प्रति जागरूक करना होता था। तथा भारतीयों में अपने प्रति पुनः आत्म सम्मान एवं पहचान को लौटाने के लिए प्रयास होते रहते थे।

जहां पत्रकार अपना जवाब कलम से देते थे वहीं दूसरे हाथ पिस्तौल से जवाब देते थे। जो व्यक्ति आजादी के प्रति समर्पित रहता था उसके इंटरव्यू के लिए पत्रकार हमेशा तैयार रहते थे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो प्रेस आजादी के पहले सिर्फ एक दिशा में काम करती थी वह अब बहुआयामी हो गई।

स्वतंत्रता पश्चात् पत्रकारिता को ब्रिटिश शासन द्वारा की गई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दयनीय स्थिति को संभालना नये राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ा। परंतु पत्रकारिता पर संपन्न वर्ग की पश्चिमीकरण की छाप का संपूर्ण प्रभाव था एवं प्रेस साधारण जनता को अंग्रेजी गुलामी के प्रति आगाह नहीं किया एवं उनकी संपूर्ण व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। इस व्यवस्था के खिलाफ जनता को जागरूक करना उचित नहीं समझा। (दास, 37)

प्रेस की आजादी का सबसे बड़ा जिम्मा जागरूक जनता का है, जिसने अपने प्रदर्शनों से 1982 का बिहार प्रेस विधेयक को वापस लेने को मजबूर कर दिया। इसके अतिरिक्त सेंसरशिप का अलग तरीका 2008 में गुजरात में मिला। जहां अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संपादक के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया क्योंकि इस प्रकाशन ने इस पुलिस अधिकारी के माफिया से रिश्तों का पर्दाफाश कर दिया था।

***शोधार्थी**
राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

संदर्भ ग्रन्थ

1. Violation of Freedom of the Press-Prepared by Usha Loghani.
2. Violation of Journalistic ethics and Public taste-Edited by S.N. Jain.
3. World Press Encyclopedia-Vol. I & II-George Thoman Kurjan.

4. India in White Paper on Misuse of Mass Media during the Internal Emergency (August 1977).

Periodicals

1. Communicator, New Delhi.
2. Communication Today, Jaipur.
3. Press Council of India Review, New Delhi.

हिन्दी पुस्तकें

1. प्रेस कानून और पत्रकारिता डॉ. संजीव भानावत
2. पत्र प्रकाशन और प्रक्रिया शिवप्रसाद भारती
3. प्रेस विधि डॉ. नंदकिशोर त्रिखा
4. प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867–जी. बी. गर्ग
5. प्रेस विषयक कानून–डॉ. वसंतीलाल बाबेल
6. भारत का संविधान जयनारायण पाण्डेय
7. भारत में प्रेस कानून और पत्रकारिता–गंगाप्रसाद टाकुर
8. भारत में प्रेस विधि– सुरेन्द्रनाथ शर्मा, डॉ. मनोहर प्रभाकर
9. संसदीय कार्यवाही का रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारण–लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित
10. संसदीय प्रणाली और व्यवहार–महेश्वरनाथ कौल, श्यामलाल शकधर (अनु. धर्मपाल पाण्डेय)
11. संवाद और संवाददाता–राजेन्द्र
12. समाचार पत्रों का इतिहास–अम्बिका प्रसाद वाजपेयी
13. समाचार सम्पादन प्रेमनाथ चतुर्वेदी
14. सूचना की स्वतन्त्रता और शासकीय गोपनीयता– रणजीतसिंह सरकारिया
15. हमारा लोकतन्त्र और जानने का अधिकार अरुण पाण्डेय,
16. हमारी संसद सुभाष कश्यप
17. हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम, वेद प्रताप वैदिक